मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में 6th State Broadband Committe (SBC), 2nd 5G Working Committee, 1st Inter Departmental Coordination committee एवं दूरसंचार परियोजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक–27.12.2024 को अप0 04:30 बजे आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– सूची संलग्न।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–27.12.2024 को अप0 04.30 बजे से 6th State Broadband Committe (SBC), 2nd 5G Working Committee, 1st Inter Departmental Coordination Committee एवं राज्य में चल रही दूरसंचार परियोजनाओं की समीक्षा के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की गयी।

मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा अपर महानिदेशक बिहार LSA, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार सह सदस्य संयोजक–SBC, उपस्थित सभी विभागाध्यक्षों, राज्य के विभिन्न विभागों, COAI, DIPA एवं ISPAI के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा बैठक के मुख्य एजेन्डा पर प्रकाश डाला गया।

इसके पश्चात सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा PPT के माध्यम से सभी एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया।

इस क्रम में सभी उपस्थित विभागों से संबंधित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया। एजेन्डावार समीक्षा के दौरान सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए :–

A. Agenda under 6th State Broadband Committe (SBC) and 2nd 5G Working Committee

1. Implementation of provisions of Telecommunication (Right of Way), Rules 2024.

इस संबंध में संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह बताया गया कि राज्य के RoW Rules को केन्द्रीय RoW Rules के अनुरूप संशोधित करने हेतु तैयार प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित किये जाने की प्रक्रिया में हैं।

इस पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित The Telecommunications (Right of Way) Rules 2024 का राज्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इसके प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने, व SOP/Guidelines इत्यादि जारी करने हेतु SLCC के तर्ज पर एक समिति का गठन किया जाय।

(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग)

2. Activation of 5G Form on States Row online portal for 5G Rollout

इस संबंध में निर्णय लिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग केन्द्र सरकार द्वारा विकसित RoW portal का उपयोग करें, साथ ही, 5G Form संबधी तैयारी पूरी करके रखी जाय ताकि इसे एक्टिवेट कर शीघ्र उपयोग किया जा सके।

(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग)

3. GIS mapping of Street furniture on PM Gati-Shakti NMP

इस संबंध में विशेष सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा स्ट्रीट फर्नीचर की मैपिंग कर BISAG-N के साथ साझा किया गया है, परन्तु BISAG-N द्वारा कुछ ही डाटा को Map किया गया है, अधिकतर में Not in format बताकर स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग नहीं किया गया है।

इस पर निर्णय लिया गया कि Fresh GIS Capturing हेतु BISAG-N के App का ही इस्तेमाल किया जाय, एवं संबंधित विभाग द्वारा इस कार्य को मिशन मोड में पूर्ण किया जाय। साथ ही BISAG-N को यह आग्रह किया गया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के सामंजस्य से सभी संबंधित विभागों को App उपलब्ध करवाने एवं प्रशिक्षण करवाने के उपरांत आवश्यक तकनीकी सहयोग देकर GIS Mapping पूर्ण करवाने में मदद् करें।

(अनुपालन– BISAG-N, नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

4. **Incorporation of addendum to Model Building Bye-Laws 2016 issued by MoHUA to be implemented by the State Government by amending its model building bye-laws.**

इस संबंध में संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह बताया गया कि State Building By-Laws में संशोधन प्रगति पर है एवं सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से यह जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग)

5. **Provision for Bulk RoW permission in the States RoW online portal.**

एजेन्डा बिन्दु 2 पर निर्णय लिया गया कि Central RoW Portal का इस्तेमाल किया जाना है। उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग द्वारा यह बताया गया कि उक्त Portal पर यह सुविधा उपलब्ध है।

(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग)

6. **Common Electricity billing & Power Reliability.**

इस संबंध में MD, SBPDCL, ऊर्जा विभाग द्वारा यह बताया गया कि विभाग द्वारा Unified Energy Bill Payment System विकसित कर Sangrahan वेब पोर्टल Live कर दिया गया है। साथ ही सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस आशय की सूचना तथा ऊर्जा विभाग द्वारा जारी SOP एवं Guidelines को User Agencies के उपयोग हेतु दूरसंचार विभाग को सूचित कर दिया गया है।

इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव द्वारा इस एजेन्डा बिन्दु को Close करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन– दूरसंचार विभाग, बिहार LSA)

7. **Industrial Tariff for Telecom Service Providers.**

इस बिन्दु पर पूर्व में 17.07.2023 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय हुआ था कि, "राज्य में टैरिफ निर्धारण बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) के अधिकार क्षेत्र में है। अतः COAI इस संबंध में BERC को अनुरोध करने हेतु स्वतंत्र है।"

इस संबंध में COAI द्वारा यह बताया गया कि इस आशय का आवेदन Bihar Electricity Regulatory Commission को दिया गया है। पूर्व निर्णय के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा इस एजेन्डा बिन्दु को भी Close करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– दूरसंचार विभाग, बिहार LSA)

8. **Review of pending applications across State**

इस संबंध में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि पूर्व में लंबित RoW आवेदनों की संख्या हजारों में थी, जिसमें सभी संबंधित विभागों के सम्मिलित प्रयास से काफी सुधार हुआ है एवं संप्रति 60 दिनों से अधिक के 139 आवेदन ही शेष है। इनमें से अधिकतर ऐसे आवेदन हैं, जो पूर्व में ऑफलाईन से ऑनलाईन परिवर्तित किये गए हैं एवं कुछ की Demand Draft इत्यादि expired है व Supporting Document भी नहीं है।

इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा DoT, Bihar LSA, DIPA एवं COAI को परामर्श दिया गया कि अपने स्तर से सभी लंबित आवेदनों (>60 days) की समीक्षा करते हुए उन्हें withdraw करें एवं supporting documents के साथ fresh application file करें।

(अनुपालन– दूरसंचार विभाग बिहार LSA, COAI, DIPA)

9. **Row applications pending with Forest Department for Tower Installations for LWE Phase-II – Forest Permission required by TSP at 04 location in Rohtas District (3) and Kaimur District (1).**
10. **Row applications pending with Forest Department for Tower Installations for 502 Aspirational District Project- Forest Permission required at 04 location in Jamui District.**

एजेन्डा बिन्दु 9 एवं 10 के संबंध में अपर महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा बताया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा Conditional approval देकर Demand raise किया गया है। परन्तु 4G Saturation परियोजनाओं से कुछ Site के Already Cover हो जाने की स्थिति में उन साईटों को drop किये जाने की आवश्यकता है।

LWE-II एवं 502 Aspirational District Scheme से संबंधित एजेन्डा बिन्दुओं 9 एवं 10 पर मुख्य सचिव द्वारा यह निदेशित किया गया कि यदि किसी साईट को drop करना हो, तो इस संबंध में दूरसंचार विभाग, बिहार, LSA द्वारा DBN (USOF) का स्पष्ट अभिमत समर्पित किया जाना चाहिए। शेष Active साईट हेतु NBWL के निर्णय के उपरांत जारी Demand का भुगतान करते हुए कार्य अविलम्ब प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– दूरसंचार विभाग, बिहार LSA)

11. **Call Before U Dig (CBuD) App**

CBuD के संबंध में अवगत कराया गया कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के द्वारा विकसित 'Call Before U Dig'(CBuD) नामक मोबाईल ऐप्लिकेशन का मूल उद्देश्य Excavators एवं Asset owners के मध्य सामंजस्य स्थापित कर, खुदाई के क्रम में OFC, Electric Cable, Water Pipeline, Gas Pipeline, Severage Line इत्यादि को होने वाले नुकसान को रोकना है। इस संबंध में निम्न कार्य बिन्दु व स्थिति है :–

i. इस हेतु यह आवश्यक है कि भूमिगत परिसंपत्तियों से संबंधित विभागों के सभी स्तर के CBuD नोडल (L3 एवं L4) का Registration शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाय।
ii. सभी विभागों के अधीन खुदाई करने वाली (Work agencies) एजेन्सीयों से यह अपेक्षित है कि उनके सभी Excavators द्वारा CBuD App पर Self Registration कर लिया जाय एवं सरकारी परिसंपत्तियों पर खुदाई के पूर्व CBuD App के माध्यम से अनिवार्य रूप से Enquiry Generate की जाय, ताकि उस क्षेत्र के संबंधित CBuD नोडल एवं Excavator के आपसी सामंजस्य के द्वारा परिसंपत्तियों को खुदाई के दौरान होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
iii. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा दूरसंचार अवसंरचना की सुरक्षा हेतु The Telecomunication (Right of Way) Rules, 2024 के अंतर्गत समुचित प्रावधान किये गये हैं, जिसके सदृश राज्य की भूमिगत परिसम्पत्तियों को नुकसान से बचाने हेतु राज्य में भी नियमावली बनायी जा सकती है। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्रांक–365, दिनांक–13.02.2023 के माध्यम से सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभागों द्वारा CBuD App के अनिवार्य प्रयोग के संबंध में निदेश जारी किया जाय एवं CBuD App के प्रयोग को Work Order में Condition के रूप में शामिल किया जाय, ताकि सरकारी परिसंपत्तियों पर खुदाई के पूर्व CBuD App के माध्यम से Enquiry Generate करना सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, विभाग अपने स्तर से CBuD App के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सूचना प्रावैधिकी विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग)

B. Agenda under 1st Inter Departmental Coordination committee (IDCC)

12. **Digital Communication Readiness Index (DCRI)**

दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा DCRI फ्रेमवर्क का निरूपण किया गया है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित 73 इंडिकेटर हैं। इसके अंतर्गत वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर मूल्यांकन

के उपरांत, भारत सरकार द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की DCRI रैंकिंग की घोषणा की जानी है। इसके अंतर्गत राज्य के 9 विभागों से संबंधित इंडिकेटर की राज्य स्तरीय समीक्षा हेतु Inter Departmental Coordination Committee (IDCC) भी गठित है।

इस संबंध में सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा लगातार समीक्षा व अनुश्रवण कर जनवरी 2024 में अंतरिम रिपोर्ट दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को समर्पित की गई तथा दूरसंचार विभाग के द्वारा उठाए गए Queries/Observations पर लगातार प्रतिउत्तर देते हुए विभाग द्वारा DCRI पर Final Response जून 2024 में समर्पित कर दिया गया। दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा DCRI Ranking जारी किया जाना प्रतीक्षित है।

इस पर मुख्य सचिव द्वारा दूरसंचार विभाग, बिहार LSA को सुझाव दिया गया कि DCRI Ranking के संबंध में जानकारी प्राप्त कर राज्य के साथ साझा करें एवं इस बिन्दु को भी एजेन्डा से Close करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन– दूरसंचार विभाग, बिहार LSA)

C. Other agenda items

13. उपस्थित सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य बिन्दु

a) दूरसंचार विभाग, बिहार LSA द्वारा उठाए गए बिन्दु

i. Urgent intervention regarding Telecom theft cases :-

इस संबंध में विशेष सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग ने बताया कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा Reported दूरसंचार उपकरणों की चोरी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने संबंधी पत्र गृह विभाग को लिखा गया है।

मुख्य सचिव ने दूरसंचार विभाग, बिहार LSA को इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया।

(अनुपालन– दूरसंचार विभाग, बिहार LSA, गृह विभाग)

ii. Feedback regarding villages without mobile network as requested by DoT, Bihar LSA

दूरसंचार विभाग ने राज्य के ऐसे गाँवों एवं ग्राम पंचायतों की सूची माँगी है, जहाँ मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है।

इस पर मुख्य सचिव ने निदेशक, पंचायती राज विभाग को निदेशित किया कि Mobile नेटवर्क रहित गाँवों की सूची सूचना प्रावैधिकी विभाग एवं दूरसंचार विभाग, बिहार LSA के साथ साझा करें, ताकि मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की सके।

(अनुपालन– पंचायती राज विभाग, दूरसंचार विभाग बिहार LSA)

b) COAI द्वारा यह अनुरोध किया गया कि RoW आवेदन के निरस्त होने की स्थिति में राज्य में 20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क की कटौती कर शेष 80 प्रतिशत राशि यूजर एजेन्सी को वापस करने का प्रावधान है, परन्तु कतिपय कारणों से शुल्क वापसी नहीं हो पा रही है।

संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा यह बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन– नगर विकास एवं आवास विभाग)

c) DIPA के प्रतिनिधि द्वारा यह अनुरोध किया गया कि मोबाईल टावरों के विद्युत कनेक्शन हेतु संबंधित विद्युत कार्यालय द्वारा Land Mutation की मॉग की जा रही है, जबकि बिहार इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड 2007 के अंतर्गत रजिस्टर्ड लीज या एग्रीमेन्ट ही अनिवार्य है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा DIPA प्रतिनिधि को इस बिन्दु विशेष पर ऊर्जा विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर आवश्यक प्रक्रिया करने हेतु सुझाव दिया गया।

(अनुपालन– DIPA, ऊर्जा विभाग)

सभी एजेन्डा बिन्दुओं पर समीक्षा के उपरांत, मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दूरसंचार परियोजनाओं में राज्य के प्रदर्शन पर संतोष प्रकट करते हुए सभी Stakeholder विभागों की प्रशंसा की गयी। उन्होंने यह रेखांकित किया कि मोबाईल नेटवर्क व डिजिटल कनेक्टिविटी को राज्य के निवासियों के लिए मूलभूत सुविधा के रूप में देखा जाना चाहिए एवं राज्य में दूरसंचार प्रक्षेत्र का विकास राज्य की प्रगति में सहयोगी सिद्ध होगा।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निदेशित किया गया कि राज्य में दूरसंचार से संबंधित सभी परियोजनाओं एवं कार्यो की समीक्षा एक ही समिति के अंतर्गत की जाय। इस संबंध में दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक, बिहार ने सहमति जताते हुए कहा कि State Broadband Committee के अंतर्गत ही सभी एजेन्डा बिन्दुओं पर चर्चा हो सकती है। अतः भविष्य में सिर्फ SBC की बैठक आहूत करने का ही निर्णय लिया गया।

साथ ही, दूरसंचार विभाग को यह भी अनुरोध किया गया कि राज्य में महत्वपूर्ण दूरसंचार इंडिकेटर्स पर प्रतिवेदन भी अगली बार से प्रस्तुत करें एवं उनकी नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित करें। दूरसंचार के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने हेतु सभी आवश्यक प्रयास दूरसंचार विभाग, बिहार LSA द्वारा किये जाने चाहिए।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

3.1.25

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक :– 499/2/2022-SECY-ITDEPT-ITDEPT.....23..... पटना, दिनांक : 03-1-25

प्रतिलिपि :– उपस्थिति सूची के अनुसार सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

03/1/25

(विधान चन्द्र यादव)
विशेष सचिव,
सूचना प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–27.12.2024 को अप0 04.30 बजे से आहूत 6th State Broadband Committe (SBC), 2nd 5G Working Committee, 1st Inter Departmental Coordination committee एवं दूरसंचार परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की उपस्थिति सूची :–

क्र0सं0	विभाग / जिला / संस्थान का नाम	नाम व पदनाम
1.	**मुख्य सचिव, बिहार (अध्यक्ष)**	श्री अमृत लाल मीणा, मुख्य सचिव, बिहार
2.	**दूरसंचार विभाग, भारत सरकार**	श्री जी. सी. राय, अपर महानिदेशक (अति0 प्रभार) श्री दिलीप कुमार, उप महानिदेशक श्री आर0आर0 यादव, निदेशक
3.	गृह विभाग	श्री अरविन्द कुमार चौधरी , प्रधान सचिव
4.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	श्री अभय कुमार सिंह, सचिव श्री अरविन्द कुमार चौधरी, विशेष सचिव
5.	नगर विकास एवं आवास विभाग	श्री अभय कुमार सिंह, सचिव श्रीमति वर्षा सिंह, संयुक्त सचिव
6.	स्वास्थ्य विभाग	श्री मनोज कुमार चौधरी, निदेशक प्रमुख
7.	BISAG-N	श्री अजय पटेल, परियोजना निदेशक
8.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	V.C.
9.	पंचायती राज विभाग	V.C.
10.	पथ निर्माण विभाग	V.C.
11	ग्रामीण कार्य विभाग	V.C.
12.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग	V.C.
13.	ऊर्जा विभाग	V.C.
14.	भवन निर्माण विभाग	V.C.
15.	उद्योग विभाग	V.C.
16.	शिक्षा विभाग	V.C.
17.	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	V.C.

18.	श्रम संसाधन विभाग	V.C.
19.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	V.C.
20.	लघु जल संसाधन विभाग	V.C.
21.	सेल्युलर ऑपरेटरर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया (COAI)	V.C.
22	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर्स एसोसिएसन (DIPA)	V.C.
23	इंटरनेट सर्विस प्रोवाईडर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया (ISPAI)	V.C.